भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

रेल भवन, नई दिल्ली - ११०००१, तिथि
Rail Bhavan, New Delhi – 110001, dated 25.08.2005

No. F(E)III/2002/PN1/2.

The General Managers and FA&CAOs,
All Zonal Railways and RCF, Kapurthala.

Sub: Writ Petition No. 7826/2001 filed before Hon'ble Delhi High Court against orders dt. 5.10.2001 in O.A. No. 1647/2000 filed by the Retired Railway Medical Officers Association.

*****

The Writ Petition No. 7826/2001 filed by the Retired Railway Medical Officers Association before the Hon'ble High Court of Delhi praying for quashing the clarificatory instructions of Department of Pension & Pensioners Welfare (DOP&PW) dt. 29.10.1999 (Board's letter No. F(E)III/98/PN1/29 dt. 12.11.1999) and for setting aside the judgement dt. 5.10.2001 of Hon'ble CAT/PB/New Delhi in O.A. No. 1647/2000, has been allowed by the Hon'ble Delhi High Court vide their judgement dt. 18.5.2002. The DOP&PW had filed SLP before the Hon'ble Supreme Court against this judgement. The DOP&PW has now advised this Ministry that the judgement of the Hon'ble High Court of Delhi dt. 18.5.2002 may be implemented immediately in respect of the petitioners.

2. In view of above, the Zonal Railway administrations are hereby requested to take immediate action to implement the judgement in respect of petitioners as per the list enclosed. Since DOP&PW's OM dt. 29.10.1999 (Board's letter dt. 12.11.1999) stands quashed, Non-Practising Allowance will have to be added to the notional pay of pre-1986 retired Medical Officers refixed as on 1.1.1986 for recomputation of notional pension/family pension in terms of Board's letter No. F(E)III/98/PN1/2 dt. 10.3.98 and also to the minimum of the corresponding Vth CPC revised scales of pay as on 1.1.1996 for the purpose of stepping up of pension/family pension in terms of Board's letter No. F(E)III/98/PN1/29 dt. 15.1.1999, in respect of the petitioners.

3. A report of the action taken may please be sent to this office for onward transmission to the DOP&PW.

(S.SREERAM)
Joint Director Finance (Establishment)
Railway Board.

DA: As above.

Copy to:

1. **ERB-III, E(O)II, Railway Board.**
2. **DOP& PW with reference to their O.M.No.48/5/2002 P&PW(A) dated 22.6.2005.**

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. एफ (ई)III/2002/पी एन 1/2 नई दिल्ली, दिनांक 25.8.2005

महाप्रबंधक तथा वित्त एवं मुलेधि,
सभी क्षेत्रीय रेलें तथा
रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला.

विषय : सेवानिवृत्त रेल चिकित्सा अधिकारी परिषद द्वारा दायर मूल आवेदन पत्र सं. 1647/2000 पर दिए गए 5.10.2001 के आदेशों के खिलाफ माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के सम्मुख दायर रिट याचिका सं. 7826/2001.

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 29.10.1999 (बोर्ड के 12.11.1999 के पत्र सं. एफ (ई) III)/98/पी एन 1/29) के स्पष्टात्मक अनुदेशों को रद्द करने तथा मूल आवेदन पत्र सं. 1647/2000 पर माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण/पी बी/नई दिल्ली के दिनांक 5.10.2001 के निर्णय को रद्द करने का अनुरोध करते हुए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के सम्मुख सेवानिवृत्त रेल चिकित्सा अधिकारी परिषद द्वारा दायर रिट याचिका सं. 7826/2001 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 18.5.2002 के अपने निर्णय में स्वीकार कर लिया है. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस निर्णय के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय के सम्मुख विशेष अनुमति याचिका दायर की थी. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अब इस मंत्रालय को यह सूचित किया है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के 18.5.2002 के निर्णय को इन याचिकाकर्ताओं के संबंध में तत्काल लागू किया जाए.

2. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय रेल प्रशासनों से एतद्द्वारा यह अनुरोध किया जाता है कि वे संलग्न सूची के अनुसार याचिकाकर्ताओं के संबंध में इस निर्णय को लागू करने की तत्काल कार्रवाई करें. चूंकि, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग का दिनांक 29.10.1999 का कार्यालय ज्ञापन (बोर्ड का 12.11.1999 का पत्र) रद्द माना जाता है, इसलिए बोर्ड के 10.3.1998 के पत्र सं. एफ (ई)III/98/पी एन 1/2 के अनुसार, सैद्धान्तिक पेंशन/परिवार पेंशन की पुनर्गणना करने के लिए 1.1.1986 को पुनर्निर्धारित 1986 से पहले के इन सेवानिवृत्त चिकित्सा अधिकारियों के सैद्धान्तिक वेतन में तथा इन याचिकाकर्ताओं के संबंध में बोर्ड के 15.1.1999 के पत्र सं. एफ (ई)III/98/पी एन 1/29 के अनुसार पेंशन/परिवार पेंशन को बढ़ाने के प्रयोजन के लिए 1.1.1996 को पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के संशोधित वेतनमानों के तदनुरूपी न्यूनतम में भी प्रैक्टिस बंदी भत्ते को जोड़ा जाना होगा.

3. इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को भेजे जाने के लिए कृपया इस कार्यालय को भेजी जाए.

एस०श्रीराम
(एस. श्रीराम)
संयुक्त निदेशक/वित्त (स्था)
रेलवे बोर्ड.

संलग्नक : यथोक्त.

प्रतिलिपि प्रेषित-
1. ई आर बी-III, ई (ओ)II, रेलवे बोर्ड.
2. पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को उनके 22.6.2005 के का. ज्ञा.सं. 48/5/2002 के संदर्भ में प्रेषित.